

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019...2036/श्र०सं०

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

सूर्यकान्त मणि
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

श्रीमती सुजाता सिंह,
श्रम अधीक्षक, बाल श्रम, पटना
श्री मनीष कुमार,
श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी
श्री उमाचरण,
श्रम अधीक्षक, लखीसराय

पटना-15, दिनांक- 26/8/19

विषय :- विभागीय अधिसूचना सं० 44, 46 एवं 47, दिनांक 29.6.19 द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त प्रभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं० 44, 46 एवं 47, दिनांक 29.6.19 द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस बीच अनेक पदाधिकारियों द्वारा उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

समीक्षोपरान्त आपको निदेश दिया जाता है कि यदि अभी तक आपने स्थानान्तरित/अतिरिक्त प्रभार का प्रभार ग्रहण नहीं किया है, तो दिनांक 26.8.19 तक निश्चितरूप से प्रभार ग्रहण कर लें। यदि उक्त तिथि तक आप प्रभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो दिनांक 27.8.19 से स्थानान्तरित/अतिरिक्त प्रभार का प्रभार ग्रहण करने हेतु स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

सूर्यकान्त मणि
26/8/19

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1/श्रम वि०स्था०(1) 10-15/2019...2036/श्र०सं० पटना-15, दिनांक-26/8/19

प्रतिलिपि : श्रमायुक्त बिहार, पटना/श्री राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण-1, मोतिहारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. श्री राकेश रंजन को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 27.8.19 को निश्चित रूप से श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी-1 एवं 2 का प्रभार ग्रहण कर लें।

सूर्यकान्त मणि
26/8/19

सरकार के उप सचिव